

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

बनाम

तहसीलदार सीकर

अर्चना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957

दिनांक / वर्ष 2025

आज्ञा पत्र

तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक-राजस्व/ 1932/2025/700 दिनांक 05.06.2025 द्वारा राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1932/1653 रकबा 0.04 हैक्ट में से कुछ खे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव निजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1932/1653 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं। मौके पर डामरीकृत सडक बनी हुई हैं तथा रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा अपनी सहमति बाबत् आधार कार्ड की प्रति पेश की गई हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 1932/1653 रकबा 0.04 हैक्ट की भूमि का रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल मुकाम होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल प्रस्ताव हो।

उपखण्ड अधिकारी/सीकर

सीकर (राज.)